रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 232] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 1995/पौष 1, 1917
No. 232] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 1995/PAUSA 1, 1917

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1995

विषय:—उन देशों को परिधान तथा निटवियर निर्यात करने के लिए वर्ष 1996—1998 की अवधि के दौरान लागू होने वाली शर्तें, जिनमें ऐसे निर्यात वस्त्र और क्लादिग संबंधी करार के उपबंधों के अंतर्गत प्रतिबंधित है।

सं. 1/64/95-ई पी (टी एण्ड जे)-1—1. प्रस्तावना:—सिले सिलाए परिधानों तथा निटवियर के संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, यूरोपीय यूनियन तथा नार्वे को होने वाले निर्यात के संबंध में निर्यात तथा आयात नीति (1992-1997) के अन्तर्गत प्रकाशित प्रक्रिया नियम पुस्तिका के खण्ड 1 के परिशिष्ट 43-I की मद संख्या 11 में निहित उपबंधों के अनुसरण में तथा दिनांक 4 सितम्बर, 1993 की अधिसूचना संख्या 1/29/93-ई पी (टी एण्ड जे)-1 समय-समय पर यथा संशोधित का अधिक्रमण करते हुए वर्ष 1996 से 1998 के लिए हकदारियों के आबंटन संबंधी नीति (जिसे इसके पश्चात आबंटन नीति कहा गया है) वह होगी जो इसमें इसके पश्चात ब्यौरेवार हैं।

2. प्रशासन:—(1) जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली, निर्यात हकदारियों का आबंटन करेगा। इस आबंटन नीति के अन्तर्गत आने वाले सिले सिलाए परिधानों तथा निटवियर के सभी निर्यातों के लिए आवश्यक प्रमाणीकरण भी महानिदेशक अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा।

(2) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद का अभिप्राय उनसे तथा ऐसे अन्य अधिकारियों से होगा जिन्हें वो अपने ऐसे कार्य तथा उत्तरादायित्व अंशत: अथवा पूर्णत: स्पष्टतया अथवा अन्यथा प्रत्यायोचित करें।

(3) महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा लागू किसी भी प्रत्यायोजन के होते हुए भी इस आबंटन नीति के क्रियान्वयन के लिए वे वस्त्र मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(4) वस्त्र मंत्रालय इस अधिसूचना के उपबंधों में से किसी भी उपबंध के निर्वाचन के संबंध में अंतिम प्राधिकारी होगा। वस्त्र मंत्रालय प्रशासन अभिकरणों, उनके कार्यों तथा दायित्वों के संबंध में समय-समय पर ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी कर सकेगा जैसा वह उचित समझे और वह ऐसे प्राधिकारियों को कार्यों का दायित्वों को अंशत: अथवा पूर्णत: पुन-आबंटित कर सकता है, जैसा कि उचित समझे।

(5) निर्यात हकदारियों का आबंटन केवल उन्हीं निर्यातकों को दिया जाएगा जो निर्यात-आयात नीति के अनुसार सक्षम पंजीकरण प्राधिकारियों के पास पंजीकृत हो।

3. आबंटन की प्रणाली:—(1) प्रत्येक आबंटन वर्ष में निर्यात हेतु मात्रा का आबंटन निम्नलिखित प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक मद के सामने दिखाई गई दरों पर किया जाएगा.—

प्रणाली	वार्षिक स्तर का प्रतिशत
(क) विगत निर्यात हकदारी (पी पी ई)	80
(ख) पहले आओ पहले पाओ (एफ सी एफ एस) हकदारी नव निवेशक हकदारी (एन आई ई) सहित	20
योग:	100

(2) समय-समय पर अभ्यर्पणों, लोचशीलताओं या अन्यथा उपलब्ध होने वाली मात्राओं को भी पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अन्तर्गत आबंटित किया जाएगा ।

(3) मांग पैटर्न और अन्य सम्बद्ध कारकों में परिवर्तनों को देखते हुए यदि वांछनीय समझा गया तो उपरोक्त से भिन्न हकदारियां आबंटित करने का अधिकार भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के पास सुरक्षित होगा ।

(4) वस्त्र आयुक्त निटवियर, ऊनी उत्पादों, बाल परिधानों या अन्य अन्य उत्पादों के लिए मात्रा आरक्षित करेगा।

4. विगत निर्यात निष्पादन हकदारी (पी पी ई) प्रणाली:—(1) महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद विगत निर्यात हकदारी का परिकलन निम्नलिखित आधार पर करेगा ।

(2) उपलब्ध मात्रा का समानुपात आबंटन आवेदन कर्त्ताओं द्वारा प्रत्येक देश/श्रेणी में आबंटन वर्ष से तत्काल पूर्व कलेण्डर वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के मूल्य के आधार पर किया जाएगा। तथापि, आबंटन को उक्त अवधि के दौरान उक्त देश/श्रेणी में भारत के निर्यात निष्पादन तक प्रतिबंधित कर दिया जाएगा ।

(3) उन निर्यातकों जिन्होंने 1 जनवरी, 1994 के बाद 50 लाख रुपए अथवा उससे अधिक राशि का निवेश किया है लेकिन जो नव निवेशक हकदारी (नीचे पैरा 6 में परिभाषित अनुसार) के पात्र नहीं है, उन्हें वर्ष 1994 अथवा 1995 के निर्यात निष्पादन के आधार पर आबंटन वर्ष 1996 के लिए अपने विगत निर्यात निष्पादन की हकदारी प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा । यदि वे वर्ष 1995 के दौरान अपने निर्यात निष्पादन के आधार पर वर्ष 1996 के लिए विगत निर्यात निष्पादन हकदारी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो उस स्थिति में महानिदेशक, ए ई पी सी द्वारा अनुसार 31 मार्च, 1996 तक ए ई पी सी को सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे ।

(4) आबंटनों का उपयोग किए जाने के प्रयोजन से 1 जनवरी से 30 सितम्बर तक की एकल अवधि होगी । निर्यातक 30 सितम्बर तक अपनी हकदारियों का उपयोग कर लेंगे । 30 सितम्बर के बाद बची अनुप्रयुक्त मात्राओं को नीचे दी गई दर पर ई एम डी/बी जी के आधार पर उसी वर्ष की 31 दिसम्बर तक इस शर्त पर आगे बढ़ा दिया जाएगा कि अवधि बढ़ाने का अनुरोध किसी विशिष्ट क्रेता के लिए हो तथा क्रेता को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

उत्पाद ग्रुप	ई एम डी/बी जी राशि
संयुक्त राज्य अमरीका में ग्लोवज	5 रु. प्रति जोड़ा
कनाडा में अंडरवीयर	5 रु. प्रति नग
कनाडा में ग्रुप "ए"	18 रु. प्रति वर्ग मीटर
संयुक्त राज्य अमरीका में ग्रुप-II	18 रु. प्रति एम एम ई
यूरोपीय यूनियन में श्रेणी 4, 5 और 24	18 रु. प्रति नग
अन्य–	32 रु. प्रति नग

(5) प्रणाली में उद्दिष्ट मात्राएं 1 जनवरी को खोली जाएंगी तथा इस प्रयोजन के लिए पूर्व वर्ष में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा सकते हैं ।

(6) पी पी ई 20 सितम्बर तक पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से हस्तांतरणीय होगी । तथापि, 31 मई के बाद के अंतरण वर्ष के लिए सम्बद्ध देश/श्रेणी में हस्तांतरणकर्ता को आबंटित की गई कुल मात्रा के 50 प्रतिशत तक ही सीमित होंगे । इस प्रकार के अन्तरण को प्रभावित करने वाले दिशा निर्देशों की घोषणा महानिदेशक, ए ई पी सी द्वारा की जाएगी ।

(7) अन्तरित विगत निर्यात हकदारी (इसके पश्चात् जिसका उल्लेख पी पी टी के रूप में किया जाएगा) उस वर्ष के 30 सितम्बर तक वैध रहेगी और उसे 31 दिसम्बर तक बढ़ाया जा सकता है जो कि उपर्युक्त पैरा 5(3) के उपबन्धों के अध्यधीन होगी ।

(8) पी पी टी के आधार पर पोत लदानों की गणना हस्तांतरणकर्ता द्वारा किए गए निर्यात के रूप में की जाएगी ।

(9) पी पी टी के हस्तांतरण की अनुमति नहीं होगी ।

5. पहले आओ पहले पाओ (एफ सी एफ एस) प्रणाली:—(1) एफ सी एफ एस प्रणाली के अन्तर्गत मात्राओं को रिलीज महानिदेशक, ए ई पी सी द्वारा घोषित तारीख को व्यापार क्षेत्र को उचित नोटिस देने के बाद की जाएगी । एफ सी एफ एस प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली मात्रा, प्रणाली के लिए उद्दिष्ट वार्षिक स्तर (20 प्रतिशत) तथा एन आई ई प्रणाली (जैसा कि नीचे पैरा 6 में उल्लिखित है) के अन्तर्गत आबंटन के बीच का अन्तर होगी । अन्य शब्दों में एन आई ई प्रणाली के अन्तर्गत आबंटन, एफ सी एफ एस प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली मात्रा में से प्रथम होंगे।

(2) आवेदन की तारीख को वैध एन सी द्वारा समर्थित आवेदन पत्रों के आधार पर ही पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अन्तर्गत मात्रा आबंटित की जाएगी ।

(3) एफ सी एफ एस प्रणाली के अन्तर्गत आबंटन, वितरित की जाने वाली मात्रा के एफ ओ बी मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से ई एम डी/बी जी के अध्यधीन होंगी ।

(4) वस्त्र आयुक्त उस अधिकतम मात्रा का निर्धारण करेंगे जो कि किसी आवेदन कर्ता द्वारा इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रतिदिन प्रत्येक देश/श्रेणी के लिए लागू हो सकती है ।

(5) आबंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकृत किए जाएंगे और जिस दिन जब उपलब्ध मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक हो, पात्रता का निर्धारण उस दिन प्राप्त आवेदन पत्रों में से उच्च इकाई मूल्य वसूली के आधार पर किया जाएगा ।

(6) पहले आओ पहले पाओ आबंटन हस्तांतरणीय नहीं होंगे ।

6. नव निवेशक हकदारी (एन आई ई)—(1) नव निवेशक हकदारी (एन आई ई) प्रणाली के अन्तर्गत आबंटन एफ सी एफ एस प्रणाली के लिए उद्दिष्ट 20 प्रतिशत के वार्षिक स्तर में से किए जाएंगे । नव निवेशक हकदारी प्रणाली में आबंटन पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अन्तर्गत उपलब्ध मात्राओं में से किया जाएगा ।

(2) इस प्रणाली में आबंटन केवल उन निर्यातकों को किया जाएगा जो ए ई पी सी के पास विनिर्माता निर्यातक के रूप में पंजीकृत है तथा जिन्होंने पूर्व कलेण्डर वर्ष की पहली जनवरी से पहले शुरू न होने वाली बाद की 12 महीनों की क्रमिक अवधि के दौरान मौजूदा एकल अथवा नए एकल में नई मशीनों में न्यूनतम 50 लाख रुपए की राशि निवेश की हो । तथापि, आबंटन वर्ष 1996 के लिए 1 सितम्बर, 1994 से शुरू

होने वाली किसी भी बाद की 12 महीनों की अवधि लागू होगी । एन आई ई आवंटन निवेश के एक स्लाक विशेष के लिए केवल एक बार ही किया जाएगा ।

3. इस प्रणाली में स्वीकार्य निवेश की 1 लाख रुपए की प्रत्येक राशि के लिए 1000 नग की दर से मात्राएं आवंटित की जाएंगी । नव निदेशक हकदारी का आवंटन करने के लिए निवेश में एक लाख रुपए की आंशिक राशि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा ।

4. एक विशिष्ट आवेदनकर्ता जिस मात्रा का पात्र है उसे आवेदनकर्ता द्वारा चुने गए कम से कम 5 देशों/श्रेणियों में बराबर विभाजित किया जाएगा । प्रत्येक देश/श्रेणी के लिए स्वीकार्य निवेश की एक लाख रुपए की प्रत्येक राशि के लिए अधिकतम हकदारी 200 नग होगी । तथापि, यदि कोई निर्यातक इसलिए 5 देशों/श्रेणियों से कम का विकल्प देना चाहता है क्योंकि उसके कुछ उत्पाद, 5 देश/श्रेणियों से उपलब्ध नहीं होंगी, तो उस स्थिति में उसे आवंटित की जाने वाली कुल मात्रा उस रुचि के देश/श्रेणियों तक ही सीमित होगी जिसे स्वीकार्य निवेश की एक लाख रुपए की प्रत्येक राशि के लिए 200 नगों द्वारा गुणा किया जाएगा। यदि निर्यातक 5 से अधिक देशों/श्रेणियों का विकल्प देता है तो उस स्थिति में उसकी एन आई ई हकदारी को विभिन्न देशों/श्रेणियों के बीच बराबर वितरित किया जाएगा जो कि स्वीकार्य निवेश की एक लाख रुपए की प्रत्येक राशि के लिए अधिकतम 1000 नग के अध्यधीन होगी ।

5. निर्यातक 30 सितम्बर तक अपनी हकदारियों का उपयोग कर लेंगे । 30 सितम्बर के बाद बची हुई अप्रयुक्त मात्रा उपर्युक्त पैरा 4(4) में दिए गए ई एम डी/बी जी की दर के आधार पर उसी वर्ष के 31 दिसम्बर तक बढ़ाई जा सकती है, जो कि इस शर्त पर होगी कि अवधि बढ़ाने का अनुरोध किसी विशेष क्रेता के लिए किया गया है तथा क्रेता को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी । निर्यातक को दूसरा विकल्प यह होगा कि वह 30 सितंबर तक अपने अनुप्रयुक्त एन. आई. ई. को लौटा सकता है और अनुप्रयुक्त मात्रा को निर्यात के लिए अगले आवंटन वर्ष में आवंटित करने का अनुरोध कर सकता है ।

6. नव निवेशक हकदारी हस्तांतरणीय नहीं होंगे ।

7. वस्त्र आयुक्त द्वारा पात्रता तथा आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जाएंगे । वस्त्र आयुक्त आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे तथा विशिष्ट निर्यातकों के निवेश के स्वीकार्य मूल्य का निर्णय करेंगे । उक्त आधार पर महानिदेशक, ए ई पी सी द्वारा हकदारियों का आवंटन किया जाएगा ।

7. शिपिंग बिलों के प्रमाणन की वैधता:—1. हस्तांतरित पी पी हकदारियों तथा एन आई ई सहित पी पी ई प्रणालियों के संबंध में शिपिंग बिलों के प्रमाणन की अवधि 75 दिनों अथवा हकदारी प्रमाणपत्र की वैधता अवधि इसमें से जो भी पहले हो, तक होगी । इनको पुनः वैध कराने की अनुमति हकदारी प्रमाणपत्र की समाप्ति तक ही दी जाएगी।

2. पहले आओ पहले पाओ आवंटनों के संबंध में शिपिंग बिलों के प्रमाणन की वैधता, आवंटन की तारीख से 75 दिनों के लिए होगी । इसकी अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

3 इस पैरा में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद वस्त्र आयुक्त अलग-अलग मामलों में तीन कार्य दिवसों तक वैधता अवधि का बढ़ा सकते हैं बशर्ते कि वे इस तथ्य से संतुष्ट हैं कि संबंधित निर्यातक अपने नियंत्रण से बाहर परिस्थितियां होने के कारण अवधि के भीतर निर्यात नहीं कर सका ।

8. **कम कारोबार वाली मदें** : 1. किसी मद को कम कारोबार वाली मद के रूप में अधिसूचित किया जाएगा यदि मद पूर्व कलैण्डर वर्ष के दौरान उसका उपयोग, एकल वर्ष के आधार स्तर के 75 प्रतिशत से कम रहा हो । महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् पिछले वर्ष के अधिक से अधिक 1 दिसंबर तक उन मदों को अधिसूचित करेंगे, जो कम कारोबार वाली मदें हैं ।

2. इस अधिसूचना के किसी भी उपबंध में अन्यत्र निहित प्रावधान के बावजूद सामान्यतः कम कारोबार वाली मदों को निम्नलिखित रियायतें उपलब्ध होंगी :

(क) निर्यातक को पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अन्तर्गत अन्य श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के बजाए 1 प्रतिशत ई एम डी/बी जी प्रस्तुत करनी होगी ।

(ख) उपर्युक्त पैरा 6 के अन्तर्गत पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के निर्धारित मात्रा संबंधी अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी ।

(ग) पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए उपर्युक्त पैरा 5(ii) में निर्धारित लाईसेंस की आवश्यकता नहीं होगी ।

3. वस्त्र आयुक्त द्वारा चालू मांग पैटर्न के आधार पर बिना कोई पूर्व सूचना दिए उपर्युक्त किसी भी रियायत को वापिस लिया जा सकता है ।

9. हथकरघा परिधान :—कुछ देशों के लिए द्विपक्षीय करारों के अंतर्गत हथकरघा परिधानों के लिए आरक्षित विशेष मात्राएं पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अंतर्गत आवंटित की जाएंगी ।

10. पेशगी जमा राशि/बैंक गारंटी (ई एम डी/बी जी) प्रस्तुत करने तथा जब्त करने के संबंध में उपबंध:—1. पी पी ई तथा एन आई ई प्रणालियों के मामले में निर्यातकों को हकदारी की मूल वैध अवधि के दौरान पेशगी जमा राशि/बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी अपेक्षित नहीं होगी । तथापि, 30 सितम्बर तक अप्रयुक्त मात्राओं को ई एम डी/बी जी की उपरोक्त पैरा 4(4) में दी गई दर की शर्त पर 31 दिसंबर तक बढ़ाया जा सकता है ।

2. पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के मामले में एक निर्यातक को आवेदित मात्राओं पर एफ ओ बी मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से ई एम डी/बी जी देनी होगी ।

3. जिन निर्यातकों की पी पी ई तथा एन आई ई प्रणाली में निहित सभी श्रेणियों के लिए हकदारियां 25,000 नग से कम नहीं है उनको ई एम डी/बी जी के स्थान पर कानूनी परिवचन (एल यू टी) प्रस्तुत करने का विकल्प होगा जिसकी शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(क) ई एम डी/बी जी के स्थान पर एल यू टी प्रस्तुत करने की सुविधा पी पी ई सहित पी पी टी में पात्र निर्यातकों को हकदारियों की अवधि बढ़ाने/अवधि को पुनर्वैध कराने पर दी जाएगी । पहले आओ पहले पाओ प्रणाली में यह सुविधा आवंटन के लिए प्रदान नहीं की जाएगी ।

(ख) यदि महानिदेशक, अपरैल निर्यात संवर्धन परिषद् कानूनी परिवचन के अन्तर्गत शामिल की गई हकदारियों के लिए किसी भी राशि को जब्त करने का दावा निर्यात हकदारी वितरण नीति के अन्तर्गत करते हैं तो उस स्थिति में संबंधित निर्यातक जिसने कि कानूनी परिवचन प्रस्तुत किया था, डी जी, ए ई पी सी द्वारा इस प्रकार से किए गए दावे की राशि को ऐसे दावे की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर जमा करा देगा । ऐसा न करने पर निर्यातक शिपिंग बिलों के किसी भी प्रमाणन के आवेदन अथवा प्राप्त करने के लिए, हकदारियों के अन्तरण के लिए अथवा किसी भी प्रणालियों में ई एम डी/बी जी को वापिस करने के लिए

तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह उक्त राशि जमा न कर दें तथा डी जी, ए ई पी सी निर्यातक के लिये ये सुविधाएं बहाल करने का निर्णय न ले ले।

(ग) डी जी, ई पी सी ऐसे किसी भी निर्यातक के लिए ई एम डी/बी जी के स्थान पर एल टी यू प्रस्तुत करने की सुविधा वापिस ले सकते हैं जो कि इस सुविधा के लिए अन्यथा पात्र हैं लेकिन वे 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर जब्त की गई किसी भी प्रकार की राशि को जमा कराने में असफल रहता है।

(घ) ई एम डी/बी जी पर लागू मार्गनिर्देशी सिद्धांत तथा शर्तें आवश्यक परिवर्तन सहित एल यू टी पर भी लागू होंगी।

4. ऐसा निर्यातक जो कि निर्यात हकदारी का कम से कम 90 प्रतिशत का निर्यात करता है, उसकी ई एम डी/बी जी की पूरी राशि रिलीज कर दी जाएगी। डी जी, ए ई पी सी अधिक कारोबार वाली मदों के मामले में 75 प्रतिशत तक तथा कम कारोबार वाली मदों के मामले में 50 प्रतिशत तक उपयोग किए जाने की स्थिति में उपयोग में जितनी कम रही है उसके समानुपात ई एम डी/बी जी जब्त कर लेगा। यदि निर्यात हकदारी आबंटन का उपयोग उपरोक्त प्रतिशत से कम रहता है तो ई एम डी/बी जी की पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी। इस प्रयोजन के लिए उपयोग का परिकलन अलग-अलग हकदारियों अथवा प्रत्येक प्रणाली के आधार पर अलग से किया जाएगा।

5. यदि एक संबंधित निर्यातक पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अन्तर्गत या तो मूल वैधता अवधि के दौरान अथवा मूल वैधता अवधि की समाप्ति के 3 दिनों की अवधि के भीतर अपनी हकदारियों वापिस कर देता है तो ई एम डी/बी जी अथवा एल यू टी में लागू राशि का 50 प्रतिशत रिलीज कर दिया जाएगा।

6. ई एम डी/बी जी की जब्त की गई समस्त राशि सरकार के पब्लिक डिपाजिट खाते में जमा कर दी जाएगी जिसका संचालन ऐसे तरीके से किया जाएगा जैसा सरकार समय-समय पर निर्णय करेगी।

7. अवधि बढ़ाने के लिए सभी आवेदन पत्र, मूल हकदारी की वैधता की अवधि समाप्त होने से पहले अथवा हकदारी की समाप्ति की तारीख से 3 कार्य दिवसों की रियायती अवधि के भीतर सभी प्रकार से पूर्ण करके प्रस्तुत किए जाएंगे।

11. ई एम डी/बी जी/एल यू टी की जब्ती के खिलाफ अपील :— एक निर्यातक को जब उपर्युक्त 10 (4) के अन्तर्गत महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा जब्ती के आदेश से हानि पहुंचती है तो वह जब्ती की ऐसी सूचना के प्रेषण के 60 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। वस्त्र आयुक्त ऐसे अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर यथाशीघ्र निर्णय देंगे। अपीलों को निपटाते समय वह अपरिहार्य घटना की स्थितियों के अलावा इस अधिसूचना में परिभाषित जब्ती की शर्तों को भी ध्यान में रख सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए वस्त्र आयुक्त से अभिप्राय वस्त्र आयुक्त तथा उसके द्वारा मनोनीत किए गए अन्य अधिकारी से होगा। यदि आवेदक द्वारा अनुरोध किया जाता है तो वे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अवसर भी देंगे। यदि निर्यातक वस्त्र आयुक्त, बम्बई के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह पत्र भेजने के 60 दिन के भीतर निर्णय के विरुद्ध अपीलीय समिति, वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है।

12. रोके गए माल को रिलीज करवाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त :— (क) जहां आयातक देश द्वारा सवाल की गई गैर-कोटा श्रेणी अथवा किसी अन्य प्रतिबंधित श्रेणी की वस्तु को प्रतिबंधित श्रेणी के रूप से पुनर्वर्गीकृत किया जाता है तो वहां पुनर्वर्गीकृत श्रेणी के लिए निर्यात प्रमाण पत्र/वीजा निर्यातक पी पी ई प्रणाली में आवश्यक कोटा को वापिस किए जाने के बाद ही जारी किया जाना चाहिए। यदि पहले आओ पहले पाओ प्रणाली में आबंटन के लिए हकदारियां अधिशेष रहती हैं तो उस स्थिति में निर्यातक द्वारा कोई कोटा वापिस किए बिना पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अधिशेष में नामे डालकर ई सी/वीजा जारी कर दिया जाये। इस पैरा के अनुबंध उन मामलों में भी लागू होंगे जिनमें पोतलदान के लिए खरीदार को बदलने की आवश्यकता हो जो कि पहले आओ पहले पाओ प्रणाली में या 30 सितम्बर के बाद समय वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात पी पी ई प्रणाली से प्रभावित हुआ हो तथा उन मामलों में जिनमें आयातक देशों में परिवर्तन की आवश्यकता हो।

(ख) जब प्रतिबंधित श्रेणी की निर्यात के लिए लदान की गई वस्तुओं को यथास्थिति अनुसार अन्य श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है तब देश के जहाज से भेजने के लिए प्रयुक्त हकदारी निम्नलिखित शर्तों पर निर्यातक को वापिस की जाए :—

(1) निर्यातक उस मूल निर्यात प्रमाणपत्र/वीजा को वापिस कर दे जो कि उसे जारी किया गया था।

(2) हकदारी प्रमाणपत्र, जिसे निर्यात के समय नामे डाला गया था, अनुरोध किए जाने पर संबंधित मात्रा के लिए वैध बना रहेगा।

(ग) ऐसी मदों के मामले में जिन्हें आयातक देशों द्वारा प्रतिबंधित मदों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है, यदि उन्हें प्रतिबंधित मदों से छूट प्राप्त हथकरघा परिधानों के रूप में अथवा "इण्डिया आइटम्स" के रूप में निर्यात किया जाता है तो डी जी ए ई सी, वस्त्र मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात वीजा/निर्यात प्रमाणपत्र जारी करेंगे।

(घ) जहां निर्यातक को पुनः वर्गीकृत श्रेणियों के लिए कोटा वापिस करना अपेक्षित होता है, ऐसे मामलों में उसे पी पी ई अथवा हस्तांतरण से प्राप्त की गई हकदारियों में से भी ऐसा करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। यदि मामले का निपटान 1 अक्तूबर के बाद किया जाता है तथा अन्तरण करने की अनुमति नहीं है तथा वापिस करने के लिए निर्यातक के पास अपनी निजी हकदारियां नहीं हैं तो उस स्थिति में वह परिवचन प्रस्तुत कर सकता है कि वह उत्तरवर्ती वर्ष की हकदारी से (निजी या हस्तांतरित) 31 जनवरी तक अपेक्षित मात्रा को वापिस कर देगा। ऐसे परिवचन पत्र के साथ निम्नतम कीमत मूल्य पर परिकलित की गई मात्रा के मूल्य के 50 प्रतिशत तक की राशि की पेशगी जमा राशि/बैंक गारंटी दी जानी चाहिए। मात्रा वापिस करने ही ई एम डी/बी जी रिलीज की जा सकती है। यदि दिए गए परिवचन के अनुसार मात्रा वापिस नहीं की जाती है तो ई एम डी/बी जी जब्त की जा सकती है। ऐसे मामलों में केवल अपेक्षित मात्रा वापिस करने के पश्चात ही निर्यातक को उत्तरवर्ती वर्ष के लिए किसी भी देश/श्रेणी में पी पी के आबंटन किए जा सकते हैं।

13. निर्यातकों द्वारा कोटा संबंधी कदाचार में निपटने की प्रक्रिया :— 1. जो निर्यातक कोटा प्राप्त करने, अन्तरण करने, उपभोग करने, विस्तार करने अथवा कोटा के उपयोग को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार की बेईमानी करने में लिप्त पाये जाते हैं, उन्हें अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किये जाएं।

2. ऐसे मामलों पर एक समिति द्वारा विचार किया जा सकता है, जिसका गठन निम्नोक्त अनुसार होगा :—

1. वस्त्र आयुक्त	अध्यक्ष
2. महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद्	सदस्य
3 अध्यक्ष, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद्	सदस्य
4. तीन उपाध्यक्ष, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद्	सदस्य
5. अपर महानिदेशक/निदेशक (कोटा नीति), अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद्	सदस्य-सचिव

3. उन मामलों में जहां समिति निर्यातक के स्पष्टीकरण की जांच करने तथा उसे व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देने के पश्चात निर्यातक धोखा-धड़ी करने के लिए दोषी पाती है तो निर्यातक को विशिष्ट अवधि के लिए हकदारियां प्राप्त करने तथा निर्यात हकदारी वितरण प्रणाली में भाग लेने से विवर्जित किया जाए ।

4. गम्भीर मामलों में महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई से पहले प्रक्रिया के पूरा हुए बगैर तथा समिति द्वारा निर्णय को अंतिम रूप देने से पूर्व निर्यातक को अस्थाई तौर पर विवर्जित किया जा सकता है ।

5. समिति को प्रवर्तन समिति कहा जायेगा तथा प्रवर्तन समिति के खिलाफ अपीलों को सुनवाई करने के लिए एक प्रवर्तन अपील समिति गठित की जायेगी जिसका गठन निम्नोक्त अनुसार होगा :–

संयुक्त सचिव (निर्यात), वस्त्र मंत्रालय	अध्यक्ष
विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय का विधि सचिव द्वारा नामित एक अधिकारी	सदस्य
निर्यात आयुक्त	सदस्य
निदेशक/उप सचिव (निर्यात), वस्त्र मंत्रालय	सदस्य-सचिव

6. प्रवर्तन अपील समिति निर्यातक से अपील प्राप्त होने पर अथवा महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद से स्वयं ब्यौरे मंगा कर प्रवर्तन समिति के आदेशों की समीक्षा, संशोधन, आशोधन कर सकती है अथवा उनको रद्द कर सकती है ।

14. सीमा शुल्क विभाग द्वारा क्लीयरेंस :—(क) प्रतिबंधित मदों के अंतर्गत उत्पाद जिनमें वे मदें भी शामिल है जो कि संयुक्त राज्य अमरीका में विशिष्ट सीमाओं के अध्यधीन नहीं हैं ।

पोतलदान बन्दरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पोतलदान की अनुमति, महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा जारी किए गए निर्यात हकदारी के प्रमाणन के मूल पत्रों तथा अलग-अलग माल के लिए जारी किए गए शिपिंग बिलों की जांच करने के बाद दी जाएगी ।

(ख) हथकरघा परिधान :–हथकरघा परिधानों के निर्यात के लिए जिसमें कनाडा में प्रतिबन्धित मदों के समतुल्य टेलर्ड कालर शर्टस शामिल नहीं है, और यू एस ए ई यू तथा नार्वे की प्रतिबंधित श्रेणियों में हथकरघा परिधानों के लिए आरक्षित विशेष मात्राओं का पोतलदान की अनुमति डी जी, ए ई पी सी द्वारा शिपिंग बिलों के प्रमाणीकरण के अतिरिक्त संयोजन प्रमाणपत्र के भाग 2 में वस्त्र समिति द्वारा किये गये निरीक्षण पृष्ठांकन के आधार पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा दी जायेगी ।

(ग) "इण्डिया आइटम्स" के अन्तर्गत आने वाले परिधान –"इण्डिया आइटम्स" के संबंध में जो कि भारत की परम्परागत लोक रीति के हस्त-शिल्प की वस्त्र उत्पाद मदें है, उनका ई यू, संयुक्त राज्य अमरीका, नार्वे तथा कनाडा को निर्यात करने के उद्देश्य से पोतलदान की अनुमति, विकास आयुक्त, (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा जारी किए गए उपयुक्त प्रमाणपत्रों के अतिरिक्त महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा शिपिंग बिलों के प्रमाणन के आधार पर दी जाएगी ।

15. (क) निर्यात प्रमाण-पत्र मूल स्थान का प्रमाण-पत्र तथा बीजा महानिदेशक, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् अथवा उनकी ओर से विधिवत प्राधिकृत किसी भी एजेंसी द्वारा द्विपक्षीय वस्त्र करार के अन्तर्गत अपेक्षित निम्नलिखित प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे :–

1. ई यू

(क) प्रतिबंधों के अन्तर्गत समस्त परिधान/निटवियर मदों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र तथा मूल स्थान का प्रमाणपत्र ।

(ख) समस्त गैर-प्रतिबंधित परिधानों/मदों के लिए मूल स्थान का प्रमाणपत्र ।

2. नार्वे

विशिष्ट सीमाओं के अध्यधीन श्रेणियों के लिए निर्यात प्रमाण पत्र तथा मूल स्थान का प्रमाणपत्र ।

3. कनाडा

निटिड, विद्युतकरधा तथा मिल निर्मित मूल के परिधानों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र जो कि 500 अथवा उससे कम कनैडियन डालर के मूल्य के प्रेषित माल को छोड़कर प्रतिबंधों के अध्यधीन है ।

4. संयुक्त राज्य अमरीका

250 अथवा उससे कम अमरीकी डालर के मूल्य के विधिवत चिह्नित नमूनों को छोड़ करके समस्त परिधान/निटवियर माल के लिए बीजा ।

(ख) हथकरघा प्रमाणपत्र

सभी हथकरघा परिधानों के निर्यात के मामलों में, जिसमें कनाडा को प्रतिबंधित मदों के समतुल्य टेलर्ड कालर शर्ट्स शामिल नहीं है, ई यू तथा नार्वे को कुछ प्रतिबंधित श्रेणियों में हथकरघा परिधानों के लिए आरक्षित विशेष मात्राओं के संबंध में वस्त्र समिति ऐसे उत्पादों के लिए द्विपक्षीय करारों में यथा निर्धारित प्रमाणपत्र जारी करेगी ।

16. ऐसे व्यक्ति जिन्हें निर्यात हकदारियां आबंटित की गई है लेकिन वे उनका पूर्णरूपेण उपयोग नहीं करते हैं, वे अपने खिलाफ की जाने वाली किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भविष्य में में हकदारियां प्राप्त करने के लिए अपने आपको अयोग्य कराने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

17. वस्त्र आयुक्त की पर्यवेक्षी भूमिका:–वस्त्र आयुक्त, बम्बई निर्यात हकदारियों से संबंधित मामलों का दिन प्रति-दिन पर्यवेक्षण करेंगे । एक समन्वय समिति नीचे के प्रचालन को समय-समय पर समीक्षा करेगी, जिसमें वस्त्र आयुक्त अध्यक्ष होंगे तथा ए. ई पी सी, डब्ल्यू एण्ड डब्ल्यू ई पी सी तथा एच ई पी सी के प्रतिनिधि होंगे। ऐसे मामलों में जहां विचारों में अन्तर है, वस्त्र आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा ।

18. सरकार के पास पूर्व सूचना दिए बिना उपर्युक्त किसी भी उपबन्ध में आवश्यकता अनुसार संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

19. अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद् तथा वस्त्र आयुक्त, वस्त्र समिति और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालयों के पते निम्नांकित अनुसार हैं :–

1. अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद,
   15, एन बी सी सी टावर,
   भीकाजी कामा प्लेस,
   नई दिल्ली-110066

2. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
   न्यू सी जी ओ कम्पलेक्स,
   न्यू मरीन लाइन्स,
   (पोस्ट बाक्स नं. 11500),
   बम्बई-400020

3. वस्त्र समिति
   "क्रिस्टल" 79, डा. एनी बेसेंट रोड,
   बम्बई-400018

4. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प),
   वेस्ट ब्लाक-7,
   रामकृष्णपुरम,
   नई दिल्ली-110066

विमोद मल्होत्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 1995

Subject : Conditions applicable for the period 1996—98 for exports in respect of Garments and Knitwear to countries where such exports are covered by restraints under the provisions of the Agreement on Textiles and Clothing.

No. 1|64|95-EP(T&J)I.—1. Introduction Pursuant to provisions contained in Item No. 11 of Appendix XLIII-I of Volume I of the Handbook of Procedures Published under the Export and Import Policy (1992—97) in respect of export of readymade garments and knitwear to the USA, Canada, the European Union and Norway and in supersession of the Notification No. 1|29|93-EP(T&J)I dated 4th September, 1993 as amended subsequently from time to time, the Policy for Allotment of Entitlements (hereinafter referred to as the Allotment Policy) for the years 1996 to 1998 shall be as hereinafter detailed.

2. Administration.—(i) Unless otherwise directed, the Director General Apparel Export Promotion Council, New Delhi (DG, AEPC) shall allocate export entitlements. The DG, AEPC shall also do the necessary certification for exports of all readymade garments and knitwear covered in this Allotment Policy.

(ii) For the purpose of this notification, the DG, AEPC shall mean and include such other officials of the AEPC to whom the DG, AEPC expressly or otherwise delegates part or whole of such functions and responsibilities.

(iii) The DG, AEPC, notwithstanding any delegations effected by him, shall be accountable to the Ministry of Textiles for implementation of the allotment policy.

(iv) The Ministry of Textiles shall be the final authority regarding interpretation of any of the provisions of this notification. The Ministry of Textiles may also issue such guidelines as it deems fit from time to time regarding agencies of administration, their functions and responsibilities and may reallocate a part or whole of the functions and responsibilities to such authorities as it deems fit.

(v) Export entitlements will be allotted only to exporters registered with the competent registering authorities as per the Export-Import Policy.

3. Systems of Allotment.—(1) Quantities for export in each allotment year shall be allocated under the following systems at rates indicated against each of them :

System	Percentage of Annual Level
(a) Past performance Entitlement (PPE)	80
(b) First-Come-First-Served (FCFS) Entitlement including New Investors' Entitlement (NIE)	20
Total	100

(ii) Quantities that become available from time to time on account of surrenders, flexibilities or otherwise shall also be allocated under the First-Come-First-Served (FCFS) system.

(iii) Government of India in the Ministry of Textiles reserves the right to allocate entitlements in variation of the above, in case it is considered so desirable, in view of changes in the demand pattern and other relevant consideration.

(iv) The Textile Commissioner may reserve quantities for knitwear, woollen products, children's wear or any other segment.

4. Past Performance Entitlement (PPE) System.—(i) The DG, AEPC shall compute PPE on the following basis.

(ii) Available levels will be allotted pro-rata on the basis of the value of exports by the applicants in each country|category during the calendar year preceding the year immediately before the allotment year. Allotments however, will be restricted to the export performance of India in the country|category during the said period.

(iii) Exporters who have invested Rs. 50 lakhs or more after 1st January 1994 but who are not eligible for New Investors Entitlement (as described in Para 6 below), would be given a choice to get their Past Performance Entitlement for the allotment year 1996 on the basis of either the performance during 1994 or during 1995. In case they desire to get PPE for 1996 on the basis of their performance during 1995, they have to submit all the necessary documents, as required by the DG, AEPC, to the AEPC by 31st March, 1996.

(iv) For the purpose of utilisation of allotments, there shall be a single period from 1st January to 30th September. Exporters should utilise their entitlements by 30th September. The unutilised quantites after 30th September can be extended upto 31st December of the same year against EMD|BG at the rates given

below, subject to the conditions that the extension sought is for a specific buyer and a change of buyer will not be permitted.

Product group	EMD/BG amount
Gloves in USA	Rs. 5/- per pair
Underwear in Canada	Rs. 5/- per piece
Group A in Canada	Rs. 18/- per sqm
Group II in USA	Rs. 18/- per SME
Categories 4. 5 and 24 in EU	Rs. 18/- per piece
Others	Rs. 32/- per piece

(v) The quantities earmarked in the system shall be opened on 1st January and for this purpose, applications may be invited during the previous year.

(vi) PPE shall be transferable, either in full or in part upto 20th September. However, transfers after 31st May, will be restricted to 50 per cent of the total quantity allotted to the transferer in the relevant country/category for the year. The guidelines for effecting such transfers will be announced by the DG, AEPC.

(vii) A transferred PPE (hereinafter referred to as PPT) shall be valid upto 30th September of the year and can be extended upto 31st December, subject to the provisions of para 4(iv) above.

(viii) Shipments against PPT will be counted as exports by the transferee.

(ix) Transfer of a PPT will not be allowed.

5. First-Come-First-Served (FCFS) System.—(i) Quantities shall be released under the FCFS system on the dates to be announced by the DG, AEPC, after giving due notice to the trade. The quantity to be distributed under the FCFS system would be the difference between the annual level earmarked for the system (20 per cent) and the allocations under the NIE system (described in para 6 below). In other words, allotments under the NIE system would have the first charge on the quantities to be distributed under the FCFS system.

(ii) Quantities shall be allocated on First-Come-First-Served basis against applications supported by L.Cs valid on the date of application. Allotments will be valid for 75 days and no extension will be granted.

(iii) Allotments under the FCFS system would be subject to EMD/BG @ 5 per cent of FOB value of the quantity involved.

(iv) The Textile Commissioner will fix the maximum quantity that can be applied for by any applicant for each country/category under this system per day.

(v) Allotments shall be granted on FCFS basis, and on a day when available quantities are oversubscribed, eligibility shall be decided on the basis of higher unit value realisation among the applications received on the day.

(vi) FCFS allotments will not be transferable.

6. New Investors Entitlement (NIE).—(i) Allotments under the New Investors' Entitlement (NIE)) System would be made from the annual level earmarked for the FCFS System, i.e. 20%. The NIE allocations would have the first charge on the quantities available under the FCFS system.

(ii) Allotments under the NIE system would be made only to exporters registered with the AEPC, as manufacturer exporters and who have invested a minimum amount of Rs. 50 lakhs in new machinery either in an existing unit or in a new unit during a period of 12 consecutive months commencing not earlier than the first of January of the previous calendar year. However for the allotment year, 1996, any 12 months period commencing from 1st September, 1994 would apply. NIE allotments would be made only once for a particular block of investments.

(iii) In this system quantities at the rate of 1000 pieces for every Rs. 1 lac of admissible investment would be allotted. Investments in fractions of Rs. one lac would not be taken into account for allotments of NIE.

(iv) The quantity for which a given applicant is eligible will be divided equally in at least 5 country/categories to be opted for by the applicant. That is for every country/category, the maximum entitlement would be 200 pieces for every Rs. 1 lac of admissible investment. However, in case an exporter is constrained to opt for less than 5 country/categories, because his items of production do not cover 5 country/categories, the total quantities allotted to him would be restriced to his choice of country/categories multiplied by 200 pieces for every Rs. 1 lac of admissible investment. In case an exporer opts for more than 5 country/categories, his NIE allotment would be distributed equally among the different country/categories subject to the ceiling of 1000 pieces for every Rs. 1 lac of admissible investment.

(v) Exporters should utilise their entitlements by 30th September. The unutilised quantities

after 30th September can be extended upto 31st December of the same year against EMD/BG @ given in Para 4(iv) above, subject to the conditions that the extension is sought for a specific buyer and change of buyer will not be permitted. The exporters will also have another option to surrender the unutilised quantities of his NIE by 30th September and ask for the unutilised quantities to be allotted to him for export during the next allotment year.

(vi) NIE will not be transferable.

(vii) Detailed guidelines for eligibility and the procedure for submission of applications would be issued by the Textile Commissioner. The Textile Commissioner would invite applications and decide the admissible value of investments of individual exporters. On that basis the DG, AEPC will allocate the entitlements.

7. Validity of Certification on Shipping Bills.—(i) Validity of certifications on shipping bills in respect of the PPE System including transferred PP Entitlements and NIE would be 75 days or upto the validity of the entitlement certificate, whichever is earlier. Revalidation will be permitted upto the expiry of the entitlement certificate.

(ii) Validity of certification on shipping bills in respect of FCFS allotments would be 75 days from the date of allotment. No extensions would be permitted.

(iii) Notwithstanding anything contained in this paragraph, the Textile Commissioner may grant extension of validity period upto three working days in individual cases if he is satisfied that the exporter concerned could not export within the period due to circumstances beyond his control.

8. Slow Moving Items.—(i) An item may be declared slow-moving, if during the calendar year preceding the year immediately before the allotment year, its utilisation has been less than 75% of the base level. The Director General, AEPC should declare the items that are slow moving latest by 1st December of the previous year.

(ii) Notwithstanding anything else contained in any of the provisions of this notification, the following relaxations shall ordinarily be available for slow moving items :

(a) An exporter would have to furnish 1% EMD/BG instead of amounts calculated at the rates stipulated for other categories under the FCFS system.

(b) The quantitative ceiling stipulated for the FCFS system vide para 5 (iv) above shall not be enforced.

(c) L/Cs as stipulated in Para 5 (ii) above would not be required for applying under the FCFS System.

(iii) Any of the above relaxations may be withdrawn without advance notice by the Textile Commissioner on the basis of the current demand pattern.

9. Handloom Garments.—Special quantities reserved for handloom garments under the bilateral agreements for certain countries would be allotted under the FCFS system.

10. Provisions Regarding Submissions and Forfeiture of Earnest Money Deposits/Bank Guarantees.—(i) In case of the PPE and NIE systems, exporters would not be required to furnish EMD/BG during the original validity of the entitlements. However, unutilised quantities as on 30th September could be extended till 31st December subject to EMD/BG @ given at para 4 (iv) above.

(ii) In the case of the FCFS system, an exporter shall be required to give EMD/BG @ 5% of the FOB value on the quantities applied for.

(iii) Exporters who have entitlements of not less than 25000 pieces for all categories taken together under the PPE and NIE systems would have an option of submitting a Legal Undertaking (LUT) in place of EMD/BG, subject to the following conditions :

(a) The facility of submitting LUT in place of EMD/BG shall apply to extension/revalidation of the entitlements of eligible exporters under the PPE system including PPT. In the FCFS system, this facility shall not be available for allotment.

(b) If the DG, AEPC raises a claim, in terms of the Export Entitlement Distribution Policy, for any forfeiture amounts in respect of entitlements covered by a Legal Undertaking, the exporter concerned who had submitted the Legal Undertaking, would remit the amounts so claimed by the DG, AEPC within a period of 90 days from the date of such claim, failing which the exporter shall not be eligibile to apply for or obtain any certification of shipping bills, transfer of Entitlements or return of EMD/BGs in any systems until the amounts are remitted and the DG, AEPC decides to re-instate these facilities for the exporter.

(c) The DG, AEPC may withdraw the facility of submitting LUT in place of EMD/BG for any exporter who is

otherwise eligible for the facility, but has failed to remit any forfeiture amount within the stipulated period of 90 days.

(d) The guidelines and stipulations applicable to EMD|BG shall also apply to LUT mutatis mutandis.

(iv) The EMD|BG of an exporter who exports not less than 90% of the export entitlement shall be released in full. The DG, AEPC shall forfeit the EMD|BG in case utilisation is upto 75% in case of fast moving items and upto 50% in case of slow moving items, proportionate to the shortfall in utilisation. If the utilisation of an export entitlement allocation is less than the above percentages, EMD|BG shall be forfeited in full. For this purpose utilisation shall be computed either on the basis of individual entitlements or on the basis of each system separately.

(v) If an exporter surrenders his entitlements under the FCFS system either during the original validity period or within a period of 3 days of the expiry of the original validity, 50 per cent of the applicable amount in the EMD|BG or LUT would be released.

(vi) All forfeited EMD|BG shall be deposited into a Public Deposit account of the Government, to be operated in such manner as the Government decides from time to time.

(vii) All applications for extension shall be submitted complete in all respects before the expiry of the validity of the original entitlement or within a grace period of 3 working days from the date of expiry of the entitlement.

11. Appeal Against Forfeiture of EMD|BG|LUT.—An exporter, when aggrieved by an order of forfeiture by the DG, AEPC under para 10 (iv) above, may appeal to the Textile Commissioner, Bombay against such forfeiture within 60 days of despatch of such communication on forfeiture. The Textile Commissioner shall, upon receipt of the representation, given a ruling as early as possible. While disposing of appeals, he may take into consideration the conditions of forfeiture spelt out in this Notification in addition to 'force majeure' conditions. For this purpose the Textile Commissioner shall mean and include such other officers as designated by him. He shall also give an opportunity for personal hearing if requested for by the applicant. If the exporter is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner, Bombay, he may prefer an appeal against the decision within 60 days of the despatch of the communication conveying the decision to the Appellate Committee, Ministry of Textiles, Udyog Bhavan, New Delhi-11.

12. Guidelines for Obtaining Release of Held-UP Consignments : (a) Where a shipment effected in a non-quota category or in another restrained category is reclassified by the importing country into a restrained category, Export Certificates|Visas for the reclassified category should be issued after the exporter surrenders the necessary quota in the PPE system. If a balance is available in the FCFS system, Export Certificates|Visas may be issued, without the exporter surrendering any quota, by debiting to such FCFS balance. The stipulations of this para will also apply to cases where a change of buyer is required for a shipment that had been effected under the FCFS System or under the PPE system, after obtaining extension beyond 30th September and to cases where a change of importing country is required.

(b) Where a shipment exported in a restrained category is reclassified into another restrained category as above, the entitlement used for sending the shipment from the country may be returned to the exporter, subject to the following conditions :—

(i) The exporter returns the original Export Certificate|Visa that had been issued to him.

(ii) The Entitlement Certificate which had been debited at the time of export, remains valid for the concerned quantity when the add-back is requested.

(c) In the case of items exported as handloom garments exempted from restraints or as "India Items", which are re-classified by the importing countries as restrained items, Visas|Export Certificates will be issued by the DG, AEPC after obtaining the approval of the Ministry of Textiles.

(d) In cases where the exporter is required to surrender quotas for reclassified categories, he should also be allowed to do so from his own entitlements under the PPE system or entitlements obtained by transfer. If the case is to be cleared after the 1st of October, when transfers are not permissible and the exporter does not have his own entitlements to surrender, he may furnish an undertaking to surrender the requisite quantity by the 31st of January from the succeeding year's entitlement (his own or transferred). Such an undertaking should be backed by EMD|BG to the extent of 50 per cent of the value of the quantity calculated at the FOB value. Once the quantity is surrendered, the EMD|BG may be released. If the quantity is not surrendered as per the undertaking, the EMD|BG may be forfeited. In such cases, PPE allotments in any country|category to the exporter for the succeeding year may be allotted only after the requisite quantity is surrendered.

13. Procedure to deal with Quota Malpractices by Exporters.—(1) Exporters who are found to have indulged in any fraudulent activity in connection with obtaining, transferring, utilising, extending or proving the utilisation of quotas, may be issued show-cause Notices by the DG, AEPC for explaining their conduct.

(ii) The cases may be considered by a Committee with the following composition :

1. The Textile Commissioner—Chairman
2. Director General, AEPC—Member.
3. Chairman, AEPC—Member
4. The three Vice Chairman of AEPC —Members.
5. Addl. Director (Quota Policy), AEPC—Member Secretary

(iii) In cases where the Committee finds on exporter guilty of fraud after examining his explanation and giving a personal hearing, the exporter may be debarred from obtaining entitlements and participating in the Export Entitlement Distribution Scheme for a specified period.

(iv) In serious cases, the exporter may be temporarily debarred by the DG, AEPC before a personal hearing, pending the completion of the procedures and finalisation of a decision by the Committee.

(v) The Committee will be called the Enforcement Committee and for hearing appeals against the decisions of the Enforcement Committee, an Enforcement Appellate Committee is constituted with the following composition :

Joint Secretary (Exports), Ministry of Textiles	—	Chairman
An Officer of the Ministry of Law, Justice and Company Affairs as nominated by the Law Secretary	—	Member
Export Commissioner	—	Member
Director/Deputy Secretary (Exports) Ministry of Textiles	—	Member Secretary

(vi) The Enforcement Appellate Committee may review and amend, modify or quash the orders of the Enforcement Committee on appeal from the exporter or by calling for the details from the DG, AEPC, on its own.

14. Clearance by Customs.—(A) Products under Restraint including items not subject to specific limits in the USA.—Shipments will be allowed by the Customs Authorities at the port of shipments after verifying the certification of export entitlement in the original and duplicate of shiping bills for individual consignments, issued by the DG, AEPC.

(B) Handloom Garments.—For exports of handloom garments, except Tailored Collar Shirts corresponding to restrained items in Canada and special quantities reserved for handloom garments in some of the restrained categories relating to the USA, the EU and Norway, shipments will be permitted by the Customs on the basis of an Inspection Endorsement by the Textiles Committee in part 2 of the combination form in addition to certification of shipping bills by the DG, AEPC.

(C) Garments Falling under "India items" : In respect of 'India items' which are traditional folk lore handicraft textile products of India. shipments will be permitted by the Customs for exports to the EU, the USA, Norway and Canada on the basis of an appropriate certificate issued by the office of the Development Commissioner (Handicrafts) in addition to certification of shipping bills by the DG, AEPC.

15. (A) Export Certificate, Certificate of Origin and Visa.—The following certificates required under the relevant Bilateral Textile Agreements will be issued by the DG, AEPC or any other agency duly authorised in this behalf :

1. EU : (a) Export Certificates and Certificates of Origin for all garment/knitwear items under restraint.
   (b) Certificates of Origin for all non-restrained garments/knitwear items.
2. Norway : Export Certificates and Certificates of Origin in respect of categories subject to specific limits.
3. Canada : Export Certificates for garments of knitted, powerloom and mill-made origin are subject to restraint except for consignments valued at Canadian $ 500 or less.
4. U.S.A. : Visa for all garment/knitwear consignments except properly marked samples valued at US $ 250 or less.

(B) Handloom Certificate.—In the case of export of all Handloom Garments except Tailored Collar Shirts corresponding to restrained items to Canada and special quantities reserved for Handloom Garments in some of the restrained categories to the EU and Norway, the Textiles Committee will issue the certificate as prescribed in the Bilateral Agreements for such products.

16. Persons to whom export entitlements are allotted but who do not utilise them fully would render themselves liable to disqualification from getting entitlements in future without prejudice to any other action that may be taken against them.

17. Supervisory Role of the Textile Commissioner.—The Textile Commissioner, Bombay shall excercise day to day supervision over the matters relating to allocation of export entitlements. A co-ordination Committee with the Textile Commissioner as its Chairman and representatives of the AEPC, the Wool and Woollens Export Promotion Council and the Handloom Export Promotion Council will review the operation of the Policy periodically. On matters where there is a difference of opinion, the decision of the Textile Commissioner will be final.

18. Government reserves the right to make amendments to any of the foregoing provisions as may be found necessary without giving prior notice.

19. The addresses of the concerned Export Promotion Councils and the Offices of the Textile Commissioner, the Textiles Committee and the Development Commissioner (Handicrafts) are as follows :

(1) The Apparel Export Promotion Council, 15, NBCC Towers, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066.

(2) Office of the Textile Commissioner, New CGO Complex, New Marine Lines (Post Box No. 11500), Bombay-400020.

(3) The Textiles Committee, "Crystal", 79, Dr. Annie Besant Road, Bombay-400 018..

(4) Development Commissioner (Handicrafts), West Block-VII, R. K. Puram, New Delhi-110022.

VINOD MALHOTRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995